फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

हिन्दुजा लिलैंड फाइनेंस लिमिटेड शाखा उदयपुर

— प्रार्थी / सिक्योर क्रैडिटर

बनाम

मैसर्स अलवर शाहपुरा ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रो. श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री छीतरमल शर्मा
(अ) धोबी गली, एम्मानुअल मिशन स्कूल के पास, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द
(ब) नेशनल हाईवे नं. 8, सेमाली, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द
(स) मकान नं. 14, किशोर नगर, दयाल शाह जैन भोजनालय के पास, किला रोड, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द

श्रीमती बीना शर्मा पत्नी श्री मुकेश शर्मा
(अ) धोबी गली, एम्मानुअल मिशन स्कूल के पास, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द
(ब) मकान नं. 14, किशोर नगर, दयाल शाह जैन भोजनालय के पास, किला रोड, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द

— अप्रार्थीगण / ऋणी

किस्म मुकदमा— प्रार्थना पत्र सिक्यूटराईजेशन **पत्रावली संख्या 22 / 2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 19.08.2019 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी हिन्दुजा लिलैंड फाइनेंस लिमिटेड शाखा उदयपुर ने दिनांकः 14.06.2019 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने अप्रार्थी / ऋणी को कुल रूपये 67,30,000 / — का ऋण सुविधा दिनांक 29.03.2017 को सम्पत्ति के लिये लोन के बाबत उपलब्ध कराई थी व अप्रार्थी ऋणीयों / जमानतदारों द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के ऐवज में अन्य सम्पत्तियों के साथ श्रीमती बीना शर्मा पत्नी श्री मुकेश शर्मा की मकान नं. 14, किशोर नगर, दयाल शाह जैन भोजनालय के पास, किला रोड, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) स्थित आवासीय सम्पत्ति (उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षैत्रफल 1995 वर्गफिट) को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थी / ऋणी ने उपलब्ध ऋण को वित्तीय संस्था के नियमानुसार नही चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 01.10.2018 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी / ऋणी के ऋण खाते में रू. 70,26,219 / — दिनांक 06.02.2019 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा उसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते हैं। उक्त ऋण खाता दिनांक 01.10.2018 को एन.पी.ए. घोषित होने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अर्न्तगत	

प्रार्थी वित्तीय संस्था ने ऋणी (अप्रार्थी) सह ऋणी एवं जमानती को दिनांक 06.02.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाई गई व न ही, बंधकशुदा सम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर अन्दर ऋण राशि रू. 70,26,219/— दिनांक 06.02.2019 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे जमा कराना था परन्तु ऋणी एवं जमानती ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाई, के कारण एक्ट के प्रावधानो के अनुसार कब्जे व नीलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया हैं।

वित्तीय संस्था सिक्योरिटीज का विवरण :— श्रीमती बीना शर्मा पत्नी श्री मुकेश शर्मा की मकान नं. 14, किशोर नगर, दयाल शाह जैन भोजनालय के पास, किला रोड, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) स्थित आवासीय सम्पत्ति (उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षैत्रफल 1995 वर्गफिट) पूर्व में मकान नं0 15 (श्री अनिल कावडिया की सम्पत्ति), पश्चिम में मकान नं0 13 (श्री जीतमल लोढा की सम्पत्ति), उत्तर में रास्ता, दक्षिण में रास्ता हैं।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी हिन्दुजा लिलैंड फाइनेंस लिमिटेड शाखा उदयपुर द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 06.02.2019 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी पोस्ट आफिस की डीलेवर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसकी प्रति पेश की गयी।

आवेदक हिन्दुजा लिलैंड फाइनेंस लिमिटेड शाखा उदयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ—पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी हिन्दुजा लिलैंड फाइनेंस लिमिटेड शाखा उदयपुर से श्रीमती बीना शर्मा पत्नी श्री मुकेश शर्मा की मकान नं. 14, किशोर नगर, दयाल शाह जैन भोजनालय के पास, किला रोड, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) स्थित आवासीय सम्पत्ति (उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षैत्रफल 1995 वर्गफिट) से हिन्दुजा लिलैंड फाइनेंस लिमिटेड शाखा उदयपुर को राशि रूपये 70,26,219/— दिनांक 06.02.2019 तक वसूल करना हैं। ऋणी/जमानतदार ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित सृजित किया हैं

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी हिन्दुजा लिलैंड फाइनेंस लिमिटेड शाखा उदयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी हिन्दुजा लिलैंड फाइनेंस लिमिटेड शाखा उदयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द